



## न्यायालय : श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2014/1/ निगरानी R-3818-प्र।।।

शम्भूदयाल पुत्र चतुर्भुज जाति ब्राम्हण  
निवासी कुम्हार मोहल्ला बडौदा तह.  
बडौदा जिला श्योपुर म.प्र.

.....निगरानीकर्ता

बनाम

माणकचंद्र पुत्र चतुर्भुज जाति ब्राम्हण  
निवासी कुम्हार मोहल्ला तहसील बडौदा  
जिला श्योपुर म.प्र.

.....गैरनिगरानीकर्ता

श्रीमान नायब तहसीलदार बडौदा के प्रकरण क्रमांक  
02/14-15/अ-27 पारित आदेश पत्रिका 01.11.14  
के विरुद्ध निगरानी म.प्र.भूराजस्व संहिता के अंतर्गत।

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

निगरानी का संक्षिप्त में सार :- यह कि कस्बा बडौदा की भूमि  
सर्वे नम्बर 2591 रकबा 0.073 हेक्टेयर, सर्वे कं. 2592 रकबा 0.42 है, सर्वे कं. 2593  
रकबा 0.105 है, सर्वे कं. 2594 रकबा 0.063 है, सर्वे नं. 2595 रकबा 0.052 है, सर्वे  
कं. 2596 रकबा 0.324 है, सर्वे कं. 2597 रकबा 0.010 है, सर्वे कं. 2598 रकबा 0.  
073 है, एवं सर्वे नं. 2599 रकबा 0.596 हेक्टेयर हमारे शामिल खाते की भूमि है।  
जिसमें रामसुन्दर एवं प्रेमचन्द्र, गोपीलाल तीनों फोत हो चुके हैं तथा भाई  
श्यामसुन्दर का पुत्र सुशील कुमार भी फोत हो चुके हैं, उनके वारिसों के हित में  
फोती नामान्तरण करवाना आवश्यक है। उनके फोती नामान्तरण के बिना कैसे उक्त  
बटवारा सम्भव है जबकि कन्हैयालाल जी का तो पूरा परिवार फोत हो चुका है।  
उनकी पत्नी गोराबाई उनकी पुत्रीया भूलीबाई, रक्षाबाई एवं पुष्पाबाई फोत हो चुकी  
हैं तथा आपने अपने आवेदन पत्र में कामेश्वर जी के वारिसानों को पक्षकार बनाया  
है जबकि उनका राजस्व अभिलेख में कोई विवरण नहीं है। इसके बावजूद भी  
आपके द्वारा गायत्री वेवा कामेश्वर, पंकज पुत्र कामेश्वर एवं कल्पना व सावित्री पुत्री  
कामेश्वर को पक्षकार बनाया है वह सही नहीं है। इस विषय के संबंध में हमारे द्वारा  
नायब तहसीलदार भाहोदय बडौदा के समक्ष आपत्ति भी की तो उनका कहना है कि  
तुम अपने काम से काम रखो, न्यायालय के कार्य में दखल उत्पन्न न करो तो

कमंशः.....2

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

### अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 3818-दो / 14

जिला – श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6.7.16	<p>प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी नायब तहसीलदार बडोदा जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/14-15/अ-27 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 1.11.14 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्कों पर विचार करने एवं नायब तहसीलदार बडोदा के आदेश दिनांक 1.11.14 पर विचार करने से परिलक्षित है कि अनावेदक ने नायब तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 178 के अंतर्गत ग्राम बडोदा की सामिलाती भूमि कुल किता 9 के बटवारे की मांग की है। नायब तहसीलदार के समक्ष सुनवाई के दौरान 1.11.14 को आवेदक एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं, जबकि नायब तहसीलदार ने अनावेदकगण को भेजे सूचना पत्र सही पता न होने से अदम तामील वापिस प्राप्त होने पर अंतिरिम आदेश से आवेदक को निर्देशित किया है कि वह सही पते के साथ तलवाना प्रस्तुत करें। इसी अंतिरिम आदेश के विरुद्ध मात्र अनावेदक शंभू दयाल ने यह निगरानी प्रस्तुत कर अधिकांश अनावेदक फौत हो जाने से नायब तहसीलदार प्रकरण एवं कार्यवाही निरस्त करने की</p>	

क्रमांक:

प्रार्थना की है।

3- उक्त के परिप्रेक्ष में वस्तुस्थिति यह है कि आवेदक ने निगरानी प्रस्तुत कर जो मांग समक्ष में उठाई है वही मांग वह नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करके कार्यवाही करा सकता था और यह उपचार उसे नायब तहसीलदार के समक्ष प्राप्त है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक निगरानी प्रस्तुत कर बटवारा कार्यवाही होने में विलंब चाहता है, जिसके कारण प्रस्तुत निगरानी सारहीन है।

4- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से इसी स्तर पर निरस्त की जाती है तथा नायब तहसीलदार तहसील बड़ौदा को निर्देश दिये जाते हैं कि वह बटवारा प्रकरण का निराकरण हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर 6 माह की अवधि में कर देवें।

  
सदस्य

